

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—


शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 14 / 10 / 2021

क्रमांक 913 / आर-351 / 2021 / चार / ब-1, एतद् द्वारा वित्त विभाग द्वारा बजट खण्ड पुस्तिका क्रमांक -2 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष 8342 -अन्य जमा के लघु शीर्ष 120 - विविध जमा के अंतर्गत योजना (0035) का नाम "म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गए स्टाम्प शुल्क" के स्थान पर "शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि" करते हुए शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:

सं. क्रं.	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष , लघु शीर्ष एवं योजना व उनके नाम (पूर्व में टंकित)	मुख्य शीर्ष , लघु शीर्ष एवं योजना व उनके नाम (संशोधित पढ़ा जावे)
1.	2019-20, 2020-21 एवं 2021-22	8342 - अन्य जमा 120 -विविध जमा 0035 - म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गए स्टाम्प शुल्क	8342 - अन्य जमा 120 - विविध जमा 0035 - शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 14/10/2021

पृ0क0 914 / आर-351 / 2021 / चार / ब-1,

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, म0प्र0 ग्वालियर ।
2. उप सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, बजट शाखा-06 ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
4. वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय, भोपाल ।
5. संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र., भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग